

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

संख्या – 3/स्था०(1) 11/2021 –

/ पटना – 15, दिनांक –

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-226, दिनांक-17.01.2025 के कंडिका-1 में वर्णित “योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है” के स्थान पर “प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान की जाती है” पढ़ा एवं समझा जाय।

2. उक्त कार्यालय आदेश की शेष कंडिका यथावत रहेगी।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

संख्या – 3/स्था०(1) 11/2021 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके पत्रांक 567, दि० 10.01.2025 के आलोक में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 6A, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

संख्या – 3/स्था०(1) 11/2021 – 237

/ पटना – 15, दिनांक – 20/01/25

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।